

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-

किशनसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह, जाति
राजपुरोहित, ग्राम पोस्ट सांडिया, तहसील
सोजत, जिला पाली राजस्थान पिनकोड
306306

लोक सूचना अधिकारी
(तहसीलदार सोजत)

किरम मुकदमा RTI APPEAL-- 71 / 2020

G.C.M.S. No. -2020/00274

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

| तारीख | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|----------|---|---|
| 05/11/20 | <p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सोजत ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नहीं एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांत को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युत्तर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 20/11/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">A जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>20/11/20 फावली आज पेश हुई। फावली का अपीलकर्ता लिखा गया। इस फावली में सूचना के अधिकार के तहत N.T. अर्थात् नगर से ग्राम सड़िया के बकोर 1010 व 924 के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई, नही दिए जाते से एक माह बाद यह अपील पुनः की गई लेकिन इससे एक सप्ताह सम्बन्धित अपील में ही अपील सं 56/2020 किस रिपोर्ट करा देकर गैर भी जो विचारार्थी है इसी तथ्य में एक ही प्रकार में दो अपील की कर ही गई है। एक ही अपील के पत्रित किया जाकर दो नया अपील सं 56/20 किस रिपोर्ट 15 नवंबर अर्थात् के सलग किया जावे। फावली शुमार फैसला होकर नया ले कर हो।</p> <p style="text-align: right;">A जिला कलेक्टर, पाली</p> | |

